जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

C.C. Act. (Daily attend)Case No. 09/2024-25

सरकार द्वारा पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा **बनाम** रघुनाथ रक्षित

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख सहित
2.11.2024	पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा के पत्रांक-681/डी0सी0बी0, दिनांक-29.10.2024 द्वारा जामताड़ा एवं नारायणपुर थाना क्षेत्र में लोक शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं आगामी विधानसभा आम चुनाव-2024 के दृष्टिकोण से शातिर अपराधकर्मी रघुनाथ रक्षित, पिता-सरोज रक्षित, साकिम-मदनाडीह, थाना-नारायणपर, जिला-जामताड़ा के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-3(3)बी0 के अंतर्गत थाना हाजरी के लिए प्रस्ताव की अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुरोध समर्पित किया गया है। उक्त पत्र का अवलोकन किया गया और पाया कि इस अपराधकर्मी के विरुद्ध वर्तमान में 1. साईबर थाना जामताड़ा काण्ड संख्या-21/2023ए दिनांक-14.04.2023 धारा-414/419/420/ 467/468/ 471/120(B) भा0द0वि0 एवं 66(B)(C)(D) आई0टी0एक्ट, आरोप पत्र संख्या-39/23, दिनांक-06.07. 2023 (2).नारायणपुर थाना काण्ड संख्या-255/2017, दिनांक-17.12.2017 धारा-414/419/420/467/ 468/471/120(B) भा0द0वि0 एवं 66(B)(C)(D) आई0टी0एक्ट, आरोप पत्र संख्या-35/2018, दिनांक-28.02.2018 (3).नारायणपुर थाना काण्ड संख्या-253/2017, दिनांक-06.12.2017 धारा-414/ 419/420/467/468/471/120(B) भा0द0वि0 एवं 66(B)(C)(D) आई0टी0एक्ट, आरोप पत्र संख्या-78/2022, दिनांक-25.07.2022 के अंतर्गत तीन मामले दर्ज है। वर्त्तमान में उक्त अभियुक्त जमानत पर मुक्त है, आसूचना संकलन के दौरान यह बात सामने आयी कि उक्त अभियुक्त वर्त्तमान में भी साईबर अपराध करने के प्रयास पर है, अन्य साईबर अपराधियों के साथ मिलना जुलना जारी है, साईबर अपराध से ठगी किये गये रूपयों का इस्तेमाल आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए कर सकता है, पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा द्वारा पत्र में अंकित किया गया है कि शातिर साईबर अपराधकर्मी रघुनाथ रक्षित झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-3(1)बी0(i)(ii) के सभी मापदण्डों के हिसाब से एक असमाजिक एवं अपराधिक व्यक्ति है एवं शातिर साईबर अपराधकर्मी रघुनाथ रक्षित पिता-सरोज रक्षित, साकिम-मदनाडीह, थाना-नारायणपर, जिला-जामताड़ा के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-3(3)बी0 के अंतर्गत साप्ताहिक थाना हाजरी हेतु आदेश पारित करने का निवेदन किया गया है। रघुनाथ रक्षित, पिता-सरोज रक्षित, साकिम-मदनाडीह, थाना-नारायणपर, जिला-जामताड़ा के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-3(3)बी0 के अंतर्गत थाना हाजरी के लिए प्रस्ताव की अग्रेतर कार्रवाई हेतु लोक अभियोजक, जामताड़ा से मंतव्य का माँग किया गया। रघुनाथ रक्षित, पिता-सरोज रक्षित, साकिम-मदनाडीह, थाना-नारायणपर, जिला-जामताड़ा के संबंध में लोक अभियोजक, जामताड़ा के पत्रांक-540, दिनांक-01.11.2024 द्वारा प्राप्त मंतव्य में अंकित है कि "इस मामले में CCA की धारा-3(3)बी0 के अंतर्गत अपराधकर्मी रघुनाथ रक्षित को CCA के प्रावधानों के अनुसार छः माह तक या उससे कम अवधि तक थाने में हाजिरी देने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया जा सकता है" तद्नुसार झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-3(3)बी0 के तहत् रघुनाथ रक्षित, पिता-सरोज रक्षित, साकिम-मदनाडीह, थाना-नारायणपर, जिला-जामताड़ा के थाना हाजिरी की प्रस्ताव की अग्रेतर कार्रवाई हेतु वाद दायर किया गया। झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-3(3)बी0 के तहत् रघुनाथ रक्षित, पिता-सरोज रक्षित, साकिम-मदनाडीह, थाना-नारायणपर, जिला-जामताड़ा के थाना हाजिरी की प्रस्ताव की अग्रेतर कार्रवाई किये जाने के संबंध में अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया। नोटिस का तामिला प्राप्त है। अपराधकर्मी के विज्ञ अधिवक्ता की ओर से सगयावेदन दाखिल किया गया। 08-नाला एवं 09-जामताड़ा निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा आम चुनाव, 2024 सन्निकट होने के कारण समयावेदन अस्वीकृत किया गया। सरकार द्वारा पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा की ओर से लोक अभियोजक, जामताड़ा को सुना	

उनका कहना है कि पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा के पत्रांक-681/डी0सी0बी0, दिनांक-29.10.2024 द्वारा झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-3(3)बी0 के अंतर्गत थाना हाजिरी प्रस्ताव हेतु सक्रिय अपराधकर्मी रघुनाथ रक्षित के विरूद्ध निम्न प्रकार सूचित किया गया है:-

1.साईबर अपराध थाना जामताड़ा काण्ड संख्या-21/2023, दिनांक-14.04.2023 धारा-414/419/420/467/468/471/120बी0 भा0द0वि0 एवं 66(B)(C)(D) IT एक्ट। आरोप पत्र संख्या-39/23, दिनांक-06.07.23।

2.नारायणपुर थाना काण्ड संख्या-255/2017, दिनांक-17.12.2017, धारा-414/419/420/467/468/471/120बी0 भा0द0वि0 एवं 66(B)(C)(D) IT एक्ट। आरोप पत्र संख्या-35/2018, दिनांक-28.02.2018।

3.नारायणपुर थाना काण्ड संख्या-253/2017, दिनांक-06.12.2017, दिनांक-06.12.2017, धारा-414/419/420/467/468/471/120बी0 भा0द0वि0 एवं 66(B)(C)(D) IT एक्ट। आरोप पत्र संख्या-78/2022, दिनांक-25.07.2022।

वर्त्तमान में उक्त अभियुक्त जमानत पर मुक्त है तथा आसूचना संकलन के दौरान यह बात सामने आयी है कि उक्त अभियुक्त वर्त्तमान में भी साईबर अपराध करने के प्रयास में है, तथा अन्य साईबर अपराधियों के साथ मिलना जुलना जारी है। साईबर अपराध से ठगी किये गये रूपयों का इस्तेमाल आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए कर सकता है तथा लोक व्यवस्था एवं आम जनजीवन को प्रभावित कर सकता है। विषयांकित शातिर साईबर अपराधकर्मी रघुनाथ रक्षित, पिता-सरोज रक्षित, ग्राम-मदनाडीह, थाना-नारायणपुर, जिला-जामताड़ा झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-3(1)बी(i)(ii) के सभी मापदण्डों के हिसाब से एक असमाजिक एवं अपराधिक व्यक्ति है एवं आगामी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने हेतु इनकी गतिविधि एवं चाल-चलन पर निगरानी रखने की आवश्यकता है। शातिर साईबर अपराधकर्मी रघुनाथ रक्षित, पिता-सरोज रक्षित, ग्राम-मदनाडीह, थाना-नारायणपुर, जिला-जामताड़ा के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-3(3)बी के अंतर्गत साप्ताहिक दैनिक थाना हाजिरी हेतु आदेश पारित करने की कृपा की जाय ताकि नारायणपुर थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे तथा आगामी विधानसभा चुनाव को बिना कोई व्यवधान के शांतिपूर्ण तरीक से कराया जा सके।"

पुनः विज्ञ सहायक लोक अभियोजक की ओर से कहा गया कि तथाकथित अपराधकर्मी के विरूद्ध एक ही तरह के अपराध करने संबंधित पूर्ववृत्त इतिहास है और अपराधकर्मी के विरूद्ध पुनः साईबर गतिविधियों में संलिप्त होने की सूचना मिल रही है। उनका यह भी कथन है कि जामताड़ा जिले के अंदर साईबर अपराध संबंधित मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अपराधियों द्वारा अर्जित इस धन का उपयोग चुनाव प्रक्रिया बाधित किए जाने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। विज्ञ लोक अभियोजक का कहना है कि चूंकि अभियुक्त के विरुद्ध बार-बार साइबर अपराध में संलिप्त होने का साक्ष्य मौजूद है एवं साथ ही उसके विरूद्ध धारा-414/419/420 भा0द0वि0 सहित अन्य अधिनियम के अंतर्गत मामले दर्ज हैं जो भा0द0सं0, 1860 के अध्याय XVII से संबंधित अपराध है अतः अपराधकर्मी शातिर साईबर झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा 2(d) के अंतर्गत असामाजिक तत्व की परिधि में आते हैं एवं एक ही तरह के अपराध में संलिप्त होने के कारण आदतन अपराधी भी है अतः इस प्रकार उसके द्वारा थाना नारायणपुर या जामताड़ा में साईबर अपराध किये जाने एवं आगामी विधानसभा चुनाव 2024 को प्रभावित करने की संभावना, नारायणपुर थाना क्षेत्र में लोकशांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-3(3)(b) के तहत् छः माह की अवधि या दिनांक-14.11.2024 से 25.11.2024 तक जामताड़ा थाना में प्रतिदिन हाजिर हेतु विद्वान लोक अभियोजक, जामताड़ा द्वारा अनुरोध किया गया।

विद्वान लोक अभियोजक, जामताड़ा द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत दो मामले क्रमशः ***गोडविन खान उर्फ गोडविन खान बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य: निर्णय*** एवं

अमर नाथ सिंह बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य:निर्णय तिथि 26.10.2021 का उद्धहरण प्रस्तुत करते हुये कहा गया कि संबन्धित अपराधकर्मी रघुनाथ रक्षित को अधिनियम की धारा–3(3)(b) के तहत कोई आदेश पारित करने हेतु,अधिनियम की धारा 2(d) की शर्ते पूरी करता है तथा साथ ही अभियुक्त आदतन अपराधी भी है।

उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्ता को सुना। पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा के पत्रांक-143 /डी0सी0बी0, दिनांक-30.03.2024 एवं उसमें संलग्न कागजातों एवं लोक अभियोजक, जामताड़ा द्वारा समर्पित मंतव्य एवं अन्य कागजातो का अवलोकन किया गया। साथ अपराधकर्मी रघुनाथ रक्षित उपस्थित हुए। विज्ञ अधिवक्ता द्वारा समय की माँग की गई उनके द्वारा कोई कारण पृच्छा प्रस्तुत नहीं किया गया। लेकिन आगामी विधानसभा आम चुनाव 2024 निकट दिनांक-20.11.2024 को होने के कारण समयावेदन अस्वीकृत किया जाता है। प्रस्तुत कागजात एवं साक्ष्यों से पता चलता है कि इस अपराधकर्मी के विरुद्ध साइबर अपराध संबन्धित तीन मामले काण्ड सं0-21/2023, 255/2017 एवं 253/2017 दर्ज है। चूंकि अराधकर्मी रघुनाथ रक्षित द्वारा भा0द0सं0,1860 के अध्याय XVII से संबंधित धारा- 414/ 419/420 सहित अन्य अधिनियम के अंतर्गत बार-बार अपराध किया गया है। इस प्रकार वह झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा–2(d) के तहत् असामाजिक तत्व की परिधि में आता है साथ ही एक ही तरह के अपराध में संलिप्त होने के कारण आदतन अपराधी भी है। अतः अपराधकर्मी की गतिविधियों से आगामी विधानसभा आम चुनाव 2024 के प्रभावित होने एवं लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा के द्वारा दिये गए प्रस्ताव एवं अनुशंसा, दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत बहस एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में, अंतर्निहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरांत संतुष्ट होकर यह आवश्यक समझती हूँ कि अपराधकर्मी रघुनाथ रक्षित, पिता-सरोज रक्षित, साकिम-मदनाडीह, थाना-नारायणपुर, जिला-जामताड़ा को आसन्न विधानसभा चुनाव 2024 को देखते हुये और जिले में लोकशांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा–3(3)(b) के तहत् जामताड़ा जिला अंतर्गत थाना नारायणपुर में प्रतिदिन हाजिर होने की आदेश दिया जाना आवश्यक है।

अतः अपराधकर्मी रघुनाथ रक्षित द्वारा आगामी विधानसभा आम चुनाव 2024 को प्रभावित करने की संभावना एवं नारायणपुर थाना क्षेत्र में लोकशांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टिकोण से झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा–3(3)(b) के अंतर्गत जामताड़ा जिला में विधानसभा आम चुनाव-2024 के मतदान एवं परिणाम तिथि क्रमशः दिनांक-20.11.2024 एवं 23.11.2024 वे रहने के कारण दिनांक-14.11.2024 से दिनांक-25.11.2024 तक थाना नारायणपुर में अपराधकर्मी को प्रतिदिन एकबार हाजिर होने की आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा–7(1)b के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू0 10000/- (दस हजार) का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक-13.11.2024 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक-25.11.2024 तक थाना नारायणपुर में प्रतिदिन एक बार हाजिर होंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर अपराधकर्मी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा–7(2)b के तहत कार्रवाई की जायेगी।

इस आदेश की प्रति रघुनाथ रक्षित एवं संबन्धित थाना को अनुपालनार्थ तथा पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा को सूचनार्थ भेजा जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

Seen
12/11/24

Seen
13/11/24

Digitally signed by 127.0.0.1
Date: 2025.01.02 13:41:26 +05:30
Location: 192.168.43.106

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।